जेपीआर5–329

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(वाणिज्यिक शाखा)

क्र0जेपीडी/मुअ(सीपीएण्डआरई)/सी.।/एफ.4(251)पार्ट–III/प्रे0 652 दि0 12.04.2006

आदेश

विषय – कृषि श्रेणी के बिलों का तदर्थ आधार पर बिलों का भुगतान स्वीकार करने के संबंध में।

पूर्व में आदेश क्र0 1726 दिनांक 12.09.05 (जेपीआर5–292), क्रमांक 2089 दि0 11.11.05 (जेपीआर–5–304) एवं क्रमांक 2109 दिनांक 17.11.05(जेपीआर5–305) के द्वारा यह हिदायत दी गई थी कि सामान्य श्रेणी (मीटर्ड) (कोड–4000), सामान्य श्रेणी फ्लेट रेट (कोड–4100), विशेष श्रेणी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में फार्म हाउस श्रेणी के वे उपभोक्ता जिन्हें 24 घंटे बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है, के कृषि उपभोक्ताओं के बिजली के बिल तदर्थ आधार पर पुरानी दरों पर (टैरिफ–2001) के अनुसार जमा कराये जा सकेंगे। उक्त आदेश में यह भी बताया गया था कि यद्यपि ये बिल नई दरों पर जारी किये जायेंगे किन्तु किसानों से नई दरों पर भुगतान के लिए जोर नहीं दिया जाये एवं भुगतान पुरानी दरों पर स्वीकार किया जाये।

उक्त आदेशों के क्रम में, बिलिंग माह मई, 2006 से शहरी क्षेत्रों में कृषि की फार्म हाऊस श्रेणी के वे उपभोक्ता जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र की तरह ब्लॉक/रोस्टर घंटों में विद्युत आपूर्ति हो रही है, के बिल भी नई दरों पर जारी किये जायें किन्तु बिलों का भुगतान पुरानी दरों पर लिया जाये एवं किसानों को नई दरों पर भुगतान के लिए जोर नहीं दिया जाये। उपरोक्त व्यवस्था बिलिंग माह जून, 2005 से जारी बिलों की बकाया राशि पर भी लागू होगी तथा ऐसे पूर्व में जारी बिलों की पुरानी दर की राशि की गणना उपखण्ड स्तर पर की जाकर बिल का भुगतान पुरानी दर पर स्वीकार किया जाये। भविष्य में शहरी क्षेत्र के इन उपभोक्ताओं को जब भी शहरी क्षेत्र की तरह विद्युत आपूर्ति (Round the clock supply) उपलब्ध होने की दशा में उपरोक्त सुविधा समाप्त कर दी जायेगी एवं टैरिफ भी फार्म हाऊस की नई दरों के हिसाब से ली जायेगी।

बिलों के लेखांकन(Accounting) के बारे में दिशा निर्देश मुख्य लेखाधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर के द्वारा अलग से जारी किए जा रहे हैं। यह व्यवस्था अग्रिम आदेश तक जारी रहेगी।

आदेशानुसार

(बी0 एल0 अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता(सी.पी.एण्ड आर.ई.)

my documents/orders.jpr